# Why did the RBI peg the exchange rate?

ABHISHEK ANAND, JOSH FELMAN & ARVIND SUBRAMANIAN

In a series of recent articles, we pointed out that in 2022, the Reserve Bank of India (RBI) abandoned the flexible exchange rate regime that had been in place for three decades and replaced it with a de facto peg against the dollar. We emphasised how this change cost the economy, resulting in an uncompetitive exchange rate and lost exports, overly tight liquidity at a time of decelerating growth, and heightened risks of speculative attacks. This begs an important question: *Why* did the RBI change policy?

The RBI must come out with an official explanation, but until it does, we can only guess. But there are a few reasonable hypotheses.

One common explanation is that it happened accidentally. That is to say, the RBI never meant to peg the exchange rate. Its real objective was to rebuild reserves after the country's foreign exchange cushion had been eroded in the middle of 2022. So, when capital started to flow into the country again, attracted by India's post-pandemic resurgence, the Central bank decided to buy up the dollars rather than allow the rupee to appreciate.

There is clearly something to this hypothesis, as the RBI has often preferred to build reserves rather than allow appreciation. But the explanation is surely incomplete. For a start, it does not explain why the RBI has since 2022 intervened repeatedly on both sides of the market, not just to prevent appreciation but also to forestall depreciation. Nor does it explain why the RBI fought so hard to preserve the peg when depreciation pressures arose in late 2024, even at the cost of expending sizeable amounts of the country's hard-won reserves.

A second hypothesis is that the RBI was focused on combatting inflation, and worried that a depreciation would undermine their efforts. It is true that inflation remained above the 6 per cent limit for some time after the pandemic. It seems reasonable, then, to think that the RBI wanted an extra instrument in its anti-inflation fight, especially since part of the inflation problem in early 2022 was coming from abroad.

## EXTERNAL COMMERCIAL BORROWINGS

(Outstanding; $ bn)

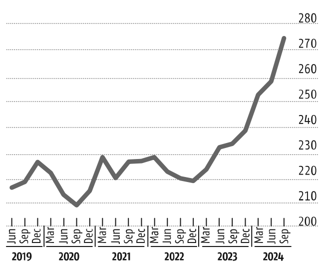


Source: Ministry of Finance, RBI

But a peg would not have provided this instrument. Instead, the RBI would have needed to allow the exchange rate to appreciate, to reduce the rupee impact of higher foreign prices. In any case, the whole issue proved moot, as global petroleum and fertiliser prices came down by more than 30 per cent in the second half of 2022 and have not been a problem since. Accordingly, inflation concerns cannot explain why the rate was pegged since late 2022.

Another hypothesis commonly advanced is political, namely that the government prefers a strong rupee. It is true that politicians of all stripes, in all countries, dislike falling currencies. But despite these preferences the RBI had nonetheless maintained the traditional semi-flexible rupee policy for three decades, including for seven years under the current government. So for this explanation to be valid, we would need to identify a major shift in politics that took place in late 2022. None seems obvious.

**A hypothesis is that the RBI was focused on combating inflation, and worried that a depreciation would undermine their efforts**

Still, we are getting close to the nub of the issue. We need to find an important development in 2022 that would have caused the RBI to shift its exchange rate policy. We have already ruled out a political shift. But perhaps there is an economic one. A clue is provided by the figure which shows that External Commercial Borrowings (ECBs) surged starting in early 2023. But what is the link between ECBs and exchange rate policy?

To answer this question, recall the economic situation in 2022. At that point, the critical issue facing the authorities was how to translate India's post-pandemic resurgence into a sustained boom. To achieve this, investment needed to revive. And while many firms indeed had ambitious projects on the drawing board, particularly in infrastructure, they needed financing, preferably from foreign markets, which offer lower rates and longer maturities than domestic ones. In the middle of the year, however, these financing plans were suddenly threatened, when the US Federal Reserve began to increase interest rates sharply. Something needed to be done. One potential response was to peg the exchange rate, because that would reduce the risk of currency depreciation – a key component of the total effective cost of foreign borrowing.

We don't know, of course, whether this consideration was the main reason for the change in policy.

But without doubt, reducing effective foreign borrowing costs was one of its main effects: Indeed, the cost reduction was so pronounced that ECBs took off despite dollar interest rates having risen substantially. By early 2025, the stock of ECB debt had grown to $273 billion, an increase of one- third in just two years. And looking at ECBs might well understate the total foreign currency liability exposure if Indian firms have raised money offshore in other ways.

Even so, overall private investment did not take off. So, it is possible that the major effect of the "subsidy" — the reduction in exchange rate volatility — was that firms merely substituted foreign borrowing for domestic financing.

What is certain is that the surge in ECBs had an unwelcome side-effect, namely that it increased the exposure of private firms to the risk of currency depreciation. And this put the RBI in a bind when the dollar began to rise on global foreign exchanges in October 2024. If it allowed the rupee to depreciate, this would put stress on firms, such as those in infrastructure, that had borrowed in dollars but were earning revenues in rupees. On the other hand, minimising the rupee's depreciation against a rising dollar would cause the rupee to appreciate against third currencies such as the euro, squeezing the profitability of the vital export sector.

In the event, the decision to defend the peg in October 2024 led to a serious erosion of India's competitiveness, as the RBI itself noted in its latest bulletin. Moreover, the more recent attempt to control the pace and extent of the rupee's decline has increased anxiety and accelerated the capital outflows. Reserves have consequently fallen by $70 billion in the past few months, around $6 billion just in the past week alone.

The lessons are clear. Short-term solutions sometimes end up creating long-term problems, from which it is difficult to extricate.

Everyone knows the oft-quoted lines from Oscal Wilde's *The Importance of Being Earnest*: "The chapter on the Fall of the Rupee you may omit. It is somewhat too sensational. Even these metallic problems have their melodramatic side." Ironically, in this episode, it is the rupee not falling and remaining stubbornly stable that may have dramatic explanations and consequences.

*The authors are, respectively, with the Madras Institute of Development Studies, JH Consulting, and the Peterson Institute for International Economics*

## ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 3)

भूतल एससीओ 33–34–35 सेक्टर–17 ए, चंडीगढ़– 160017

प्रकरण सं. : ओए/946/2021

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अंतर्गत न्यायालयी आदेश (समन)

एक्स. नं.: 21862

**बैंक ऑफ बड़ौदा**

**विरुद्ध**

**मैसर्स आरबीजे इंडस्ट्रीज**

प्रति,

**(1) मैसर्स आरबीजे इंडस्ट्रीज**, भूखण्ड सं. 896, जेएलपीएल, सेक्टर 82, इंडस्ट्रियल एरिया, मोहाली, पंजाब– 160062, अपने स्वामी कुश कुमार जैन के माध्यम से।

**अन्य पता यहाँ पर भी :** भूखण्ड सं. 607, इंडस्ट्रियल फोकल प्वाइंट, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–9, मोहाली, पंजाब।

**(2) कुश कुमार जैन,** स्वामी मैसर्स आरबीजे इंडस्ट्रीज, भूखण्ड सं. 896, जेएलपीएल, सेक्टर 82, इंडस्ट्रियल एरिया, मोहाली, पंजाब– 160062,

**अन्य पता यहाँ पर भी :** 1575, पुष्पक कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 49, चंडीगढ़– 160047

**(3) मैसर्स राणा इंडस्ट्रीज,** खसरा सं. 7133/6/3, मुख्य मटियाला मार्ग, उत्तम नगर, नई दिल्ली– 110059, अपने स्वामी के माध्यम से।

**(4) प्रोपराइटर मैसर्स राणा इंडस्ट्रीज,** खसरा सं. 7133/6/3, मुख्य मटियाला मार्ग, उत्तम नगर, नई दिल्ली– 110059

**न्यायालयी आदेश (समन)**

**जबकि, ओए/946/2021, दिनांक 21/09/2024 को माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।**

जबकि, यह माननीय अधिकरण **रु. 43,82,007.91/–** के ऋणों की वसूली हेतु आपके विरुद्ध दर्ज अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन, (ओए) पर न्यायालयी आदेश अर्थात् सम्मन / सूचना निर्गत करके संतुष्ट है (आवेदन, दस्तावेजों की प्रतियों के साथ संलग्न है)।

अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार, आप अर्थात् प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि :–

(i) न्यायालयी आदेश अर्थात् समन्स प्रस्तुत होने के तीस दिवसों के अंदर हमें कारण बताएं/दिखाएं कि जिस राहत हेतु प्रार्थना की गई है, उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए;

(ii) आवेदक द्वारा मूल आवेदन–पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के विवरण प्रकट करना;

(iii) आपको, संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निस्तारण के लंबित रहने तक, मूल आवेदन–पत्र के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई प्रतिभूत परिसंपत्तियों या ऐसी अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों का लेन–देन करने या निस्तारण करने से प्रतिषेधित किया जाता है;

(iv) आप, अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के अलावा, किसी भी ऐसी परिसंपत्ति, जिस पर प्रतिभूति हित सृजित किया गया है उसको और/या मूल आवेदन–पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट या प्रकट की गई अन्य परिसंपत्तियों एवं संपत्तियों को बिक्री, पट्टे या माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेंगे;

(v) आप व्यवसाय के सामान्य कार्यक्रम के तहत प्रतिभूत परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री–आय के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्री–आय को, ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रतिभूति हित धारण करनेवाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास अनुरक्षित खाते में जमा करेंगे।

आपको, लिखित विवरण, आवेदक को इसकी एक प्रति प्रेषित करने के दायित्व निर्वहन के साथ, प्रस्तुत करने और **30–01–2025 को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रार** के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निर्णय ले लिया जाएगा।

आज दिनांक 22/08/2024 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुद्रा के अंतर्गत निर्गत।

**न्यायालयी आदेश (समन्स) निर्गतार्थ प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर**

**ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 3)**

---

## इनसिल्को लिमिटेड

(25–06–2021 की प्रभावी तिथि से स्वैच्छिक परिसमापनाधीन)

सीआईएन : L34102UP1988PLC010141

पंजी. कार्यालय : बी–23, सेक्टर–63, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301

फोन : + 91 [illegible], ईमेल आईडी : insilco2@gmail.com, वेबसाइट : www.insilcoindia.com

31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही/नौ माह हेतु अलेखापरीक्षित परिणामों का विवरण

(रु. लाख में)

| विवरण | तिमाही समाप्त 31 दिस. 2024 | वर्षांतरन 31 दिस. 2024 | पूर्व वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2024 | पूर्व वर्ष में समाप्त संगत 3 माह 31 दिस. 2023 |
|---|---|---|---|---|
| परिचालन से कुल आय (शुद्ध) | 66 | 191 | 4,166 | 3,982 |
| अवधि हेतु (हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व#) | -24 | -112 | 3,438 | 3,832 |
| अवधि हेतु (हानि) कर से पहले (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद#) | -24 | -112 | 3,438 | 3,832 |
| अवधि हेतु (हानि), कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद#) | -41 | -160 | 3,136 | 3,577 |
| अवधि हेतु कुल समावेशी (हानि) [जिसमें अवधि हेतु (हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित है] | -41 | -160 | 3,136 | 3,577 |
| प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी | 6,272 | 6,272 | 6,272 | 6,272 |
| संचेय (पुनमूल्यन संचेय छोड़कर, जैसाकि पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है) | | -2,307 | | |
| प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/– प्रत्येक का) (जारी और बंद प्रचालनों हेतु) | | | | |
| (क) मूल | -0.07 | -0.26 | 5.00 | 5.70 |
| (ख) तनुकृत | -0.07 | -0.26 | 5.00 | 5.70 |

नोट :

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजेस में प्रस्तुत किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश रूप है। सांविधिक लेखापरीक्षक ने 31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही हेतु पुनरकृत आईएनडी एएस वित्तीय विवरण के संबंध में संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण फार्मेट तथा सीमित समीक्षा रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.insilcoindia.com पर उपलब्ध है।

\# कम्पनी के पास उपरोक्त अवधियों में रिपोर्ट करने हेतु कोई अपवादात्मक तथा असाधारण मद मौजूद नहीं है।

कृते एवं हित निदेशक मंडल, इनसिल्को लिमिटेड

(25–06–2021 की प्रभावी तिथि से स्वैच्छिक परिसमापनाधीन)

| | | |
|---|---|---|
| | हस्ता./– | हस्ता./– |
| | परिमल नारायणन विनोद | कपिला गुप्ता |
| | प्रबंध निदेशक | परिसमापक, इनसिल्को लिमिटेड |
| | डीआईएन : 08803466 | (पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/ IP-P-02564/ 2021-2022/13955) |
| तिथि: 15 जनवरी, 2025 | स्थान : मुंबई | स्थान : नोएडा |

---

## MIRAE ASSET

Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, promotions in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

| Date | Time | Address |
|---|---|---|
| January 18, 2025 | 07:00 P.M. | Hyatt Centric, Janakpuri, Janakpuri District Centre Complex, New Delhi - 110 058. |

**MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited.** CIN - L65990MH2019PTC324625)

**Registered & Corporate Office:** 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. ☎ 1800 2090 777 (Toll free), ✉ customercare@miraeasset.com 🌐 www.miraeassetmf.co.in

**Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.**

---

## महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

**बिक्री सूचना**

**कार्पोरेट कार्यालय :–** महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, साधना हाउस, द्वितीय तल, 570 पी.बी. मार्ग, वर्ली, मुम्बई–400018, भारत, फोन : +91 22 66523500 फैक्स : + 91 22 24972741

**आंचलिक कार्यालय :** द्वितीय तल, अशोक राज टावर, प्लॉट नंबर सीपी–162, सेक्टर डी–1, एलडीए कॉलोनी, निकट पावर हाउस चौराहा, आशियाना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226012, शाखा कार्यालय : पता : 74 श्रीराम आर्केड, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248009

**अचल सम्पत्तियों की नीलामी–सह–बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना**

प्रतिभूत लेनदार मैसर्स महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसमें आगे "एमआरएचएफएल" कही गई है) के प्राधिकृत अधिकारी ने, प्रतिभूत ऋणों की वसूली के प्रयोजनार्थ वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "सरफासी ऐक्ट" कहा गया है) की धारा 13(4) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (इसमें आगे "नियमावली" कही गई है) के नियम 8 और 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) बेचने का निर्णय किया है। प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त सम्पत्ति का कब्जा सरफासी ऐक्ट की धारा 13(4) के तहत प्राप्त किया जा चुका है, जो "जैसी है जहाँ है आधार" तथा "जो है जैसी है आधार" पर बेची जाएगी तथा सर्वसाधारण और सभी संबंधित जन जिसमें संबंधित कर्जदार/बंधककर्ता, उनके प्रतिनिधिगण, उत्तराधिकारी, शामिल हैं, को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे सूचीबद्ध प्रतिभूत आस्तियां बेची जाएंगी, जिनका विवरण यहाँ नीचे दिया गया है :

| क्र. सं. | कर्जदारों/सह–कर्जदारों/गारंटरों/बंधककर्ताओं का नाम | 13(2) मांग सूचना की तिथि एवं राशि | कब्जा की तिथि | सम्पत्ति का वर्णन | सुरक्षित मूल्य ईएमडी बोली वृद्धि राशि | सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय | नीलामी की तिथि एवं समय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **शाखा :** देहरादून **कर्जदार :** रामपाल सिंह **पता :** छोटा मंदिर, गोरखपुर, प्रेम नगर, देहरादून, उत्तराखंड– 248007 **सह–कर्जदार :** लक्ष्मी देवी **पता :** छोटा मंदिर, गोरखपुर, प्रेम नगर, देहरादून, उत्तराखंड–248007 **एलएएन : 1407838/XSEMDDN01077016** | **11–05–2024 रू. 18,48,637.81/–** | **11–10–2024 भौतिक कब्जा** | खेत नम्बर 1613, खसरा नम्बर 1694/4 मिन, स्थित : मौजा आर्केडिया ग्रांट, परगना– पछवादून, देहरादून, उत्तराखंड– 248007, पूरब : 12 फीट चौड़ी रोड, पश्चिम : जमीन, उत्तर : अन्य का प्लॉट, दक्षिण : अन्य का प्लॉट | **रू. 24,04,125/– रू. 2,40,412.5/– रू. 10,000/–** | 05–02–2025 समय पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक | **07–02–2025** समय पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक |

1. एमआरएचएफएल को अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से कार्यवाही करते हुए अब उसके लिए ऑफर प्राप्त हुई है (ऑफर राशि ऊपर तालिका में दी गई है) और हम, अन्य के साथ इस तथ्य पर विचार करते हुए इसको स्वीकार करने के इच्छुक हैं कि पिछली सार्वजनिक नीलामी असफल हो चुकी है।
2. इच्छुक बिडर्स को नीलामी में भाग लेने हेतु सुरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी।
3. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें निर्धारित निविदा प्रपत्र में समाविष्ट की गई हैं। निविदा प्रपत्र **www.mahindrahomefinance.com** पर और शाखा कार्यालय में उपलब्ध है। बिक्री, नीलामी प्रपत्र में वर्णित नियम एवं शर्तों के तहत होगी।
4. अतिरिक्त विवरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी, **पवन चौधरी, मोबाइल नंबर 7830777787** से सम्पर्क करें। निर्धारित निविदा प्रपत्र में सीलबंद ऑफर्स ईएमडी के साथ उपरिवर्णित पते पर स्थित शाखा कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि **06–02–2025 समय पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक** है। रसूचित रूप से नहीं भरी गई निविदाएं अथवा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदाएं अवैध मानी जाएंगी और तदनुसार अस्वीकृत होंगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
5. उपरिवर्णित पते पर स्थित शाखा कार्यालय में सम्पत्ति हेतु ऑफर्स खोलने की तिथि 07–02–2025 समय पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक है। निविदा प्राधिकृत अधिकारी की मौजूदगी में खोली जाएगी।
6. अचल सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि **05–02–2025 समय पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक** तक है।
7. कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को एतद्द्वारा **प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के तहत बिक्री हेतु 15 दिन का नोटिस** दिया जाता है कि वे उपरिवर्णित बकाया राशि नीलामी की तिथि से पहले जमा कर दें जिसमें असफल रहने पर प्राप्त की गई ऑफर स्वीकार कर ली जाएगी तथा अचल सम्पत्ति नीलाम कर दी जाएगी तथा शेष राशि, यदि कोई, ब्याज और लागतों सहित वसूल की जाएगी। यदि कर्जदार महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पूरी बकाया राशि बिक्री की तिथि से पहले चुका देता है तो नीलामी रोक दी जाएगी।
8. अचल सम्पत्ति उच्चतम बोलीदाता को बेची जाएगी। तथापि, अधोहस्ताक्षरी का एकमात्र अपने विवेक के अनुसार परस्पर बोलीदान की अनुमति देने का अधिकार सुरक्षित है, यदि ऐसा आवश्यक समझा जाता है।

**स्थान : देहरादून तिथि : 16–01–2025** **हस्ता./–, प्राधिकृत अधिकारी, महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

---

## AXIS BANK

**मांग सूचना**

**शुल्क परिसंपत्ति केंद्र :** एक्सिस बैंक लि., प्रथम तल, जी– 4/5, बी. केस्ट– 4, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226010

**पंजीकृत कार्यालय :** 'त्रिशूल', तृतीय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सम्मुख, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद– 380006

**वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत माँग सूचना**

जैसा कि एक्सिस बैंक लिमिटेड के यहाँ नीचे वर्णित ऋणकर्ताओं/सह–ऋणकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं ने विभिन्न सहायता प्राप्त की थीं। हमारा कहना है कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उपरान्त भी ऋणकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं ने भुगतान अनुसूची का पालन नहीं किया है तथा ऋण खाते को नियमानुसार अनुत्पादक आस्ति घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में नोटिस जारी किए गए परन्तु नोटिस बिना तामील हुए वापस लौट आए हैं, अतः एतद्द्वारा सूचना प्रकाशित की जा रही है। ऋणकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करें, अन्यथा बैंक प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रतिभूत परिसंपत्तियों पर कब्जा लेने सहित कार्रवाई करेगा। [illegible]

| क्र. सं. | ऋणकर्ता, सह–ऋणकर्ता, गारंटर एवं विधिक उत्तराधिकारियों का नाम / पता | एनपीए तिथि / मांग सूचना की तिथि / बकाया राशि |
|---|---|---|
| 1. | **प्रेसिडेंट संस्था 1 प्रकाश चंद पुत्र श्री ज्ञान चंद जैन,** निवासी मकान सं. 318, सेक्टर 16ए आवास विकास कॉलोनी कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश–282007, **अन्य पता यहाँ पर भी :** प्रकाश चंद पुत्र श्री ज्ञान चंद जैन, आगरा, उत्तर प्रदेश–282002 **प्रेसिडेंट संस्था 2 श्रीमती प्रीति जैन पत्नी श्री प्रकाश चंद जैन, निवासी–** मकान सं. 318, सेक्टर 16ए आवास विकास कॉलोनी कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश– 282007 **खाता सं. :** RAC/LUCKNOW/22-23/HIR008605779089, HIR008605693236 | 08–09–2024 / 23–09–2024 / रु. 8,56,556.00/– एवं रु. 2,40,366.00/– 22.09.2024 के अनुसार |

**अनुसूची, अचल परिसंपत्ति :** एक आवासीय भूमि / संपत्ति के समस्त ऐसे भाग तथा अंश जिसका क्षेत्रफल 142.20 वर्ग मीटर है, जो मकान नं. 318, सेक्टर– 16ए, आवास विकास कॉलोनी, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है, **पूर्व–** मकान नं. 317, **पश्चिम–** मकान नं. 319, **उत्तर–** सड़क 9 मीटर चौड़ी, **दक्षिण–** मकान नं. 315

एतद्द्वारा उक्त परिस्थितियों में उक्त ऋणकर्ताओं, सह–ऋणकर्ताओं/गारंटरों (जहाँ भी लागू हो) को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपने समस्त बकाया का भुगतान करें, अन्यथा बैंक प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रतिभूत परिसंपत्तियों का कब्जा लेने हेतु स्वतंत्र होगा। [illegible]

कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत, प्रतिभूत ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किये बिना कोई भी ऋणकर्ता इस सूचना में संदर्भित अपनी किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति का बिक्री, पट्टे या अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकता।

दिनांक : 16–01–2025 प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : आगरा एक्सिस बैंक लिमिटेड

---

## ऐम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड

AMBIT Finvest — Pragati ke partner

**कार्पोरेट कार्यालय :** कनकिया वॉल स्ट्रीट, 5वां तल, ए 506–510, अंधेरी–कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई–400093

**कब्जा सूचना**

**(अचल सम्पत्ति के लिए)**

**(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अधीन)**

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने, ऐम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : ऐम्बिट हाउस, 449, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013, कार्पोरेट कार्यालय : कनकिया वॉल स्ट्रीट, 5वां तल, ए 506–510, अंधेरी–कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई–400093 और शाखा कार्यालय : कार्यालय सं. – द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 1, डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया, निकट मोती नगर मेट्रो स्टेशन, मोती नगर, नई दिल्ली–110015 में स्थित है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का, प्रयोग करते हुए, मांग सूचना निम्नवर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें निम्नलिखित कर्जदारों से सूचना में वर्णित राशि, जो यहां नीचे भी वर्णित की गई है, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

निम्नवर्णित कर्जदार राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा निम्नवर्णित कर्जदारों और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ले लिया है।

| कर्जदारों/सह–कर्जदारों/गारंटरों का नाम एवं ऋण खाता संख्या | मांग सूचना तिथि / राशि | अचल सम्पत्ति/बंधक सम्पत्तियों का वर्णन | कब्जा की तिथि / कब्जा का प्रकार |
|---|---|---|---|
| **1. मान बिल्डिंग मैटीरियल सप्लायर 2. केदार सिंह मान 3. ममता एलएएन नंबर DEL00000029418** | 22–07–2024 रू. 34,52,777.74/– (रूपये चौंतीस लाख बावन हजार सात सौ सतहत्तर तथा पैसे चौहत्तर मात्र) 22–07–2024 तक | "सम्पत्ति क्षेत्रफल परिमाप 01 कनाल 03 मरला, खेवट खाता नंबर 120/141 में शामिल, मुस्टटिल नंबर 26, किला नंबर 5/2/1 (2–5), स्थित : सिवाना मौजा फफूंडा दयालपुर तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। चौहद्दी – पूरब : जितेन्द्र की भूमि, पश्चिम : रोड 60 फीट, उत्तर : सोदान सम्पत्ति, दक्षिण : जितेन्द्र की सम्पत्ति | **13–01–2025** **सांकेतिक कब्जा** |

कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार ऐम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड की यहां ऊपर वर्णित राशि और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रतिभूत सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) की ओर आकर्षित किया जाता है।

**हस्ता./–**

**स्थान : फरीदाबाद (हरियाणा)** **प्राधिकृत अधिकारी**

**दिनांक : 14–01–2025** **ऐम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड**

---

## Home First Finance Company India Limited

**CIN: L65990MH2010PLC240703**

**Website: homefirstindia.com**

**Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com**

homefirst — We'll take you home

### कब्जा सूचना

**संदर्भः प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के उप–नियम (1) के तहत कब्जा सूचना**

जबकि होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम नं. 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे दी संबंधित तारीखों को जारी मांग सूचना के अनुसरण में अधोलिखित आप/कर्जदारों को संबंधित सूचनाओं की प्राप्ति से 60 दिनों के अंदर बकाया देयों का भुगतान करने के लिए कहा। आप/सभी कर्जदार, हालांकि, निर्धारित समय अवधि में उक्त बकाया देयों को भुगतान करने में असफल रहे, इसलिए, **होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड** ने सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा(4) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकार रखते हुए और प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का **कब्जा** ले लिया हैः

| क्र. सं. | कर्जदारों/सह–कर्जदारों/जमानतियों के नाम | बंधक संपत्ति का विवरण | मांग सूचना की तारीख | मांग सूचना की तारीख को कुल बकाया राशि (रु. में) | कब्जे की तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | लवकुश कुमार, भाग्यवती | मकान–खसरा नं.–13, खसरा नं.–13 मिन, मकान नं. सी–132 वाका मौजा आवास विकास नारायण कुंज कॉलोनी, तहसील–काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड–244714, काशीपुर, उत्तराखंड–244713। सीमाएँः– पूर्वः मकान नं. सी–113(4.62एम), पश्चिमः रोड 5.90 चौड़ा (4.62एम), उत्तरः मकान नं. सी–131(6.93एम), दक्षिण– मकान नं. सी–133 (6.93 एम) | 04 जुलाई, 2024 | 1,406,688 | 10 जनवरी, 2025 |

कर्जदार द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार/जमानती और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे उल्लिखित संपत्ति का उपरोक्त तारीख को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से **कर्जदारों/जमानतियों** और **सामान्य रूप में सर्व साधारण** को संपत्तियों/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों या इसके किसी भाग से कोई लेनदेन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्तियों/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का कोई भी लेनदेन संपत्तियों/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के लिए यहाँ ऊपर उल्लिखित राशि जो पूर्ण भुगतान तक आगे की ब्याज सहित भुगतेय है, के लिए होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

**प्रत्याभूत परिसंपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समयावधि में अधिनियम की धारा–13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।**

स्थानः एनसीआर प्राधिकृत अधिकारी,

दिनांकः 16.01.2025 होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड

---

FORM NO. 14 [ See Regulation 33(2) ]

By Regd. A/D, Dasti failing which by Publication.

**OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-I/II**

**DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR**

1st Floor, Sudharma-II, Lal Kothis Shopping Center, Tonk Road, Jaipur-302015

6741/ 13.12.2024

**DEMAND NOTICE**

NOTICE UNDER SECTION 25 TO 28 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961.

RC/181/2023 Next Date : 03.03.2025

**STATE BANK OF INDIA**

VERSUS

**MR ANISH THOMAS**

To,

**(CD 1)Mr. Anish Thomas S/o Mr. Chakalamotha Lona Thomas**

R/OFlat No. 404, Mahima Panorama, jagatpura, Jaipur (Raj.)

**(CD2) M/S Shiv Shakti Real Homes Pvt Ltd**

501-503, Diamond Tower, Near Purani Chungi, Ajmer Road, Jaipur (Raj.)

This is to notify that as per the Recovery Certificate issued in pursuance of orders passed by the Presiding Officer, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR in **OA/211/2022** an amount of **Rs. 44,43,718,73/- (Forty Four Lakh Forty Three Thousand Seven Hundred Eighteen and Seventy Three Paisa Only)** and interest thereon as per Recovery Certificate is due against you.

1. You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the receipts of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to banks and Financial Institutions Act, 1993 and Rules there under.
2. You are hereby ordered to declare on an affidavit the particulars of yours assets on or before the next date of hearing.
3. You are hereby ordered to appear before the undersigned on **03.03.2025** at 10.30 a.m. for further proceedings.
4. In addition to the sum aforesaid, you will also be liable to pay:

a) Such interests as is payable for the period commencing immediately after this notice of the certificate/execution proceedings.

b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due.

**DETAILS OF AMOUNT MENTIONED IN THE RECOVERY CERIFICATE DUE AGAINST YOU**

| | |
|---|---|
| 1.Recover certificate amount | Rs. 44,43,718.73/- |
| 2.Interest from dt. 01.02.2022 to 31.10.2023 @9.45%PA | Rs. 8,70,210/- |
| 3. Cost of Suit | Rs. 48,250/- |
| 4. Amount Recovered after RC issued | NILL |
| 5. Total Dues | Rs. 52,26,848.73/- |

NOTE : Subject to payment/receipt, if any, made during pendency of OA or Recovery, if any, made by way of auction under SARFAESI. Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date **09.12.2024**

Seal — Recovery Officer-I, Debts Recovery Tribunal, Jaipur

---

## बजाज फाइनेंस लिमिटेड

BAJAJ FINSERV

**पंजीकृत कार्यालयः बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ऑफ पुणे-अहमदनगर रोड, विमान नगर, पुणे-411014**

**शाखा कार्यालयः बजाज फाइनेंस लिमिटेड, 04, दूसरी मंजिल, मेन दिल्ली रोड, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, जैकबपुरा, सेक्टर 14, गुरुग्राम, हरियाणा-122001**

**कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)**

**(परिशिष्ट IV के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8(1) के अनुसार)**

चूंकि, बजाज फाइनेंस लिमिटेड (बीएफएल) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अधीन तथा धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत पंजीकृत डाक द्वारा मांग ("सूचना") जारी की गई थी, जिसमें यहां नीचे उल्लेखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों को कथित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर कथित अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन सूचना में उल्लेखित रकम चुकता करने को कहा गया था।

नीचे नामित कर्जदारों/गिरवीदाताओं/गारंटीदाताओं द्वारा कथित रकम का भुगतान करने में विफल होने के कारण, एतद्द्वारा कर्जदारों/गिरवीदाताओं/गारंटीदाताओं एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत यहां उल्लेखित सम्पत्ति पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया है।

विशेष तौर पर कर्जदारों तथा आम तौर पर जन साधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि कथित संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा न करें तथा कथित संपत्ति के संबंध में कोई भी सौदा यहां नीचे उल्लिखित रकम के साथ उस पर अनुबंधकीय दर पर ब्याज की राशि के लिए बजाज फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

कर्जदार का ध्यान प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) की ओर आकर्षित किया जाता है।

| ऋण खाता सं./कर्जदारों/गिरवीदाताओं/गारंटीदाताओं का नाम | प्रत्याभूत अचल सम्पत्ति का विवरण | धारा 13(2) के अधीन सूचना तथा धारा 13(2) के अधीन सूचना रकम एवं कब्जा की तिथि |
|---|---|---|
| 401FSP25787968 1. कुलदीप सिंह (कर्जदार) 2. उर्मिला यादव (सह-कर्जदार) | ग्राम कन्हाई एवं झरसा तहसील एवं जिला गुड़गाँव, गुड़गाँव, 122001, हरियाणा के ग्रीनवुड्स सिटी की दूसरी मंजिल पर ब्लॉक-ए में मकान नं. 123 | 16/10/2024 रु. 66,70,394/- **कब्जा की तारीख** 11/01/2025 |

**दिनांकः 16.01.2025 स्थानः दिल्ली** **हस्ता/- अधिकृत अधिकारी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड**

---



---

एल&टी फाइनान्स लिमिटेड

(पहले एल&टी होल्डिंग्स फायनांस लि.)

**पंजीकृत कार्यालयः** एल&टी फाइनान्स लिमिटेड, बृंदावन बिल्डिंग, प्लॉट नं. 177, कलीना, सीएसटी रोड, मर्सडीज़ शोरूम के पास, सांताक्रुज़ (पूर्व), मुंबई 400 098

**सीआईएन नं.:** L67120MH2008PLC181833

**शाखा कार्यालयः** दिल्ली

L&T Finance

### मांग सूचना

**सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत (आगे से कानून कहा गया है)**

हमने आप सभी (कर्जदारों, सहकर्जदारों और गारंटरों) को रजिस्टर्ड डाक एक्नॉलेज ड्यू के माध्यम से कानून की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की है, क्यों कि आपने बकाया राशियों का भुगतान नहीं किया है, और इस बकाया राशि को चुकता करने में विफल रहे हैं और इसे नजरअंदाज किया है. परिणामस्वरूप नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा जारी किए गए आस्ति वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार बुक ऑफ अकाउंट में लोन अकाउंट को नॉन–परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है. सूचना ''बिना प्राप्ति के लौट आई है'' और इसलिए अब हम कानून की धारा 13(2) के तहत सभी को यह सूचना जारी कर रहे हैं और एतद्द्वारा नीचे सूचना में संलग्न राशि एल&टी फायनांशियल सर्विसेस (पूर्व की, एल&टी फाइनान्स लि,) इस पेपर अधिसूचना के दिनांक से 60 दिन की अवधि के अंदर मांग सूचना के दिनांक से लेकर भुगतान तक के आगामी ब्याज सहित चुकाने का आवाहन कर रहे हैं. यदि आप इस सूचना के अनुसार अपनी देयताओं को पूरा नहीं करते हैं तो हम कानून की धारा 13(4) या धारा 14 के तहत दिए गए सभी या किसी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए विवश होंगे. ''यह कानून और/या समय समय पर लागू कानून के अनुसार हमें उपलब्ध किन्हीं भी अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना होगा.

| ऋण खाता संख्या | कर्जदारों और सहकर्जदारों का नाम | मांग सूचना दिनांक / एनपीए दिनांक / बकायाराशि — एनपीए दिनांक | बकाया राशि (₹) यथा | अचल संपत्ति (मॉर्टगेज्ड) का वर्णन |
|---|---|---|---|---|
| H1750215 11181213 03/ H1750215 11181213 03L | 1. श्री अवधेश प्रताप द्विवेदी 2. श्रीमती दीपिका अवधेश द्विवेदी | मांग सूचना दिनांक: 09/01/2025 एनपीए दिनांक: 05/12/2024 | रु. 33,05,453.40/– (तैंतीस लाख पाँच हज़ार चार सौ तिरेपन रुपये चालीस पैसे मात्र) दिनांक 03/01/2025 तक | **सूची।** लैंड ए का प्रत्येक भूखंड – 156, टाइप 3 बीएचके, पंद्रहवी मंज़िल पर, अनुमानित सुपर सेलेबल एरिया 1510.71 वर्ग फुट (140.34 वर्ग मीटर), कार्पेट क्षेत्रफल 984.45 वर्ग फुट (91.46 वर्ग मीटर) और विशिष्ट बाल्कनी का क्षेत्रफल 80 वर्ग फुट (91.46 वर्ग मीटर), विशिष्ट छत का क्षेत्रफल 0 वर्ग फुट (0 वर्ग मीटर), समानुपाती कॉमन एरिया 446.26 वर्ग फुट (41.46 वर्ग मीटर) रहेजा वन्या नामक इमारत के टावर ए में, सेक्टर–99ए, गुड़गाँव में स्थित |
| H0547223 12230352 51 / H0547223 12230352 51L | 1. श्रीमती कोमल के 2. श्री नंद लाल चौधरी | मांग सूचना दिनांक: 09/01/2025 एनपीए दिनांक: 01/12/2024 | रु. 37,75,333.28/– (सैंतीस लाख पचहत्तर हज़ार तीन सौ तैंतीस रुपये अठ्ठाईस पैसे मात्र) दिनांक 03/01/2025 तक | **सूची।** इस संपत्ति का प्रत्येक भूखंडः कमर्शियल शॉप नं. 211, पहली मंज़िल पर, सुपर क्षेत्रफल 24.9 वर्ग मीटर (223.31 वर्ग फुट), सुपरटेक शॉप्रिक्स मॉल, सेक्टर–5, वैशाली, ग़ाज़ियाबाद, तहसील और ज़िला ग़ाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश –201 010 |
| DELHL160 00707/ DELHL160 00827 | 1. श्री अभिषेक निर्मल सहा 2. श्रीमती मीनाक्षी करमरकर | मांग सूचना दिनांक: 17/12/2024 एनपीए दिनांक: 05/07/2018 | रु. 3,24,54,022.29/– (तीन करोड़ चौबीस लाख, चौवन हज़ार बाईस रुपये उनतीस पैसे मात्र) दिनांक 03/12/2024 तक | **सूची।** इस संपत्ति का प्रत्येक भूखंडः फ्लैट नं. एच/0703, टावर एच में, 7वीं मंज़िल, युनिट का प्रकार 3 बीएचके+एस, क्षेत्रफल 2295 वर्ग फुट (लगभग), कैपिटल गेटवे में, सेक्टर 111 में, गुड़गाँव, हरियाणा, 122001 |

कृते/–

**दिनांकः** 16.01.2025 **प्राधिकृत अधिकारी**

**स्थानः** दिल्ली एनसीआर एल&टी फाइनान्स लिमिटेड के लिए